न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 80/2015

अपीलांट

1. खूमाराम पुत्र सोमा
2. बाबू वल्द रिदा, जातियान कलबी, निवासीगण रतनपुर तहसील रानीवाडा जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. आकाश पुत्र मलाराम
2. जयन्तीलाल पुत्र मलाराम
3. सायरी देवी बेवा मलाराम
4. शांतादेवी पत्नी खमीशमल जातिया नट, निवासी रानीवाडा, जिला जालोर।
5. रमेश पुत्र सोमा
6. देवाराम पुत्र सोमा
7. कनकादेवी बेवा सोमा
8. रामा पुत्र रीदा जातियान कलबी, निवासीगण रतनपुर तहसील रानीवाडा जिला जालोर।
9. शाखा प्रबंधक, एस.बी.बी.जे शाखा रानीवाडा, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री त्रिलोक चंद महेता, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04
श्री अजहरूदीन खोखर, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 05 से 08
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से
रेस्पोडेन्ट 09 बावजूद सूचना अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांकः– 13.08.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सहायक कलक्टर रानीवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 14/2014 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2015 एवं अंतरिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.08.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा रतनपुर तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 494 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु. चारवाडा, खसरा नंबर 540 रकबा 4.46 हैक्टर, खसरा नंबर 541 रकबा 2.80 हैक्टेयर, खसरा नंबर 543 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 544 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 545 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 546 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 547 रकबा 3.39 हैक्टेयर कुल खसरा 9 कुल रकबा 10.91 हैक्टेयर के संबध प्रस्तुत कर बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से तामिल होने पर उनकी ओर से अधिवक्ता सोहनसिंह देवडा व मोहनलाल उपस्थित हुए। उसके पश्चात प्रकरण जवाब में चल रहा था। दिनांक 21.07.2015 को पत्रावली जवाब हेतु नियत थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.07.2015 को जवाब बंद कर प्रकरण में बहस हेतु आगामी पेशी 22.07.2015 नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 22.07.2015 को प्रकरण में बहस सुनकर लोक अदालत की भावना से प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी की गई। उसके पश्चात दिनांक 20.08.2015 को अंतरिम निर्णय व डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टगण को जवाब हेतु समय नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व उसके भाईयों द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से सांठ गांठ कर तैयार की गई। जबकि इस संबध में प्रतिवादीगण को कोई नोटिस नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री बाई मिट्स एंड बाउण्ड्स के आधार पर जारी नहीं की गई है। मौके पर प्रतिवादीगण को कोई रास्ता नहीं दिया गया है। जिससे प्रतिवादीगण को दी गई भूमि पर कोई रास्ता नहीं है। धारा 53 में स्पष्ट प्रावधान है कि मौके पर काबिज अनुसार एवं बंटवाडा करते समय सभी को रास्ते का अधिकार दिया जायेगा। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को खसरा नंबर 544 में रास्ता दिया गया।

सहायक कलक्टर/अधिकारी
पाली

शेष प्रतिवादीगण को किसी प्रकार से रास्ते से नहीं जोडा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये, बिना साक्ष्य सबूत लिये, एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं हैं। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा रतनपुर तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 494 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु. चारवाडा, खसरा नंबर 540 रकबा 4.46 हैक्टर, खसरा नंबर 541 रकबा 2.80 हैक्टेयर, खसरा नंबर 543 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 544 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 545 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 546 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 547 रकबा 3.39 हैक्टेयर कुल खसरा 9 कुल रकबा 10.91 हैक्टेयर के संबध प्रस्तुत कर बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट की ओर से वकील श्री मोहन विश्नोई द्वारा दिनांक 24.03.2015 को वकालतनामा प्रस्तुत किया। उसके पश्चात दिनांक अपीलांट के अधिवक्ता को जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब बंद करने का आदेश पारित किया गया। उसके पश्चात दोनो पक्षो के अधिवक्ता की सहमति से लोक अदालत की भावना से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2015 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री जाकर तहसीलदार रानीवाडा को प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.08.2015 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए समस्त पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 53,

पीठासीन अधि./प्राधिकारी
पाली

188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा रतनपुर तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 494 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु. चारवाडा, खसरा नंबर 540 रकबा 4.46 हैक्टर, खसरा नंबर 541 रकबा 2.80 हैक्टेयर, खसरा नंबर 543 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 544 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 545 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 546 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 547 रकबा 3.39 हैक्टेयर कुल खसरा 9 कुल रकबा 10.91 हैक्टेयर के संबध प्रस्तुत कर बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 12.02.2015 को प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से वकील श्री श्रवणसिंह देवडा द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। उसके पश्चात दिनांक 24.03.2015 को प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7, 8, 9 की ओर वकील श्री मोहनजी विश्नोई द्वारा वकालतानामा प्रस्तुत किया। उसके पश्चात पत्रावली जवाब हेतु आगामी पेशी नियत की गई। किन्तु प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 21.07.2015 को प्रतिवादीगण का जवाब बंद कर पत्रावली दिनांक 22.07.2015 को वास्ते बहस नियत की गई। दिनांक 22.07.2015 को दोनो पक्षो के अधिवक्ता द्वारा लोक अदालत की भावना से मिट्स एंड बाउण्ड्स एवं उनके हिस्से अनुसार बंटवाडा कराने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु सहमती प्रदान की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2015 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी कर निर्णय की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को प्राथमिक डिक्री के अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/लोकअदालत/1849 दिनांक 13.08.2015 के जरिये विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट पर स्पष्ट अंकन है कि प्रतिवादी रमेश, खूमा, देवाराम पिसरान, सोमा, एवं कनको देवी बेवा सोमा, रामा, बाबू पुत्र रीदा कौम कलबी ने अगुष्ठ व हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 20.08.2015 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरोध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा स्वंय मौके पर जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की गई। जिस पर अपीलांट द्वारा हस्ताक्षर करने से मना करने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांटगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर जैर अपील अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रानीवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 14/2014 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2015 एवं अंतरिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.08.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली